

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360]नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2015/कार्तिक 13, 1937No. 360]NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2015/KARTIKA 13, 1937

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4, नवम्बर, 2015

फा.सं.पी. 15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई.— खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) (संसोधन) विनियम, 2015 का संशोधन करने के लिए, कितपय विनियमों का प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा.सं.पी. 15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई तारीख 25 अगस्त, 2014 को प्रकाशित किया गया था, उन पर उन सभी व्यक्तियों से जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख तीस दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे:

और राजपत्र की प्रतियां जनता को 25 अगस्त, 2014 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

4703 GI/2015 (1)

विनियम

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) (संशोधन) विनियम, 2015 है ।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के परिशिष्ट क में, खाद्य सहयोज्य की सूची के संबंध में,:

सारणी 1 में, क्रम सं. ण के स्तम्भ सं. (1) से (4) के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएँगी:

(1)	(2)	(3)	(4)
ਰ	प्रसंस्करण सहायता		
1.	ग्लूकोज आक्सीडेस (एसपरजिल्ल्स नाइजर)	GMP	
	(एसपरजिल्ल्स ओरिजे), (पेनिसिलियम क्रिसोजेनम)		
2.	लाईपेज (एसपरजिल्ल्स फ्लेवस),	GMP	
	(एसपरजिल्ल्स नाइजर),		
	(एसपरजिल्ल्स ओरिजे),		
	(ब्रेवीबैक्टीरियम लीनियस),		
	(केनडिडा लिपोलायटिका),		
	(म्यूकर जवानिकस),		
	(म्यूकर मिहेई),		
	(म्यूकर प्यूसीलस),		
	(राइजोपस अरहिजस),		
	(राइजोपस डेलमार),		
	(राइजोपस निग्रीकेन),		
	(राइजोपस निवेयस)		
3.	जाइलानेस,	GMP	-
	(एसपरजिल्ल्स नाइजर),		
	(स्पोरोट्राईकम डिमार्फोस्पोरम),		
	(स्ट्रेप्टोमाइसीज़ एसपी.),		
	(ट्राईकोडर्मा रीसे),		
	(ह्यूमीकोला इनसोलेंस),		
	(बेसिलस लाइकेनिफोरमिस).		

आशीष बहुगुणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञा. ।।।/4/असा./187-0/15(249)]

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक एफ 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा किए गए :

- (i) फा.सं. 4/15015/30/2011 तारीख 7 जून, 2013.
- (ii) फा.सं. पी./15014/1/2011-पीफए/एफ़एसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013.
- (iii) फा.सं. 5/15015/30/2011 तारीख 12 जुलाई, 2013.
- (iv) फा.सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफ़एसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014.
- (v) फा.सं. 1-83/साईपैन-नोटी/एफ़एसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015.
- (vi) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2013.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2015

F.No. P.15025/264/13-PA/FSSAI.— Whereas the draft of the Food Safety and Standards of India (Food Products Standards and Food Additives) (Amendment) Regulations, 2014, were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F.No P.15025/264/13-PA/FSSAI dated the 25th August, 2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 25th August, 2014;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with section 16 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:-

REGULATIONS

- **1. Short title and commencement.** (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) (Amendment) Regulations, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- 2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in Appendix A, relating to list of food additives

In Table 1, after serial number "O", the serial number "P" and enteries relating thereto shall be added:-

Sl.No.	(2)	(3)	(4)
(1)			
"P	Processing Aid		
1.	Glucose Oxidase (Aspergillus niger), (Aspergillus	GMP	-
	oryzae), (Penicillium chrysogenum).		
2.	Lipase (Aspergillus flavus),	GMP	-
	(Aspergillus niger),		
	(Aspergillus oryzae),		
	(Brevibacterium lineus),		
	(Candida lipolytica),		
	(Mucor javanicus),		
	(Mucor miehei),		
	(Mucor pusillus),		
	(Rhizopus arrhizus),		
	(Rhizopus delemar),		
	(Rhizopus nigrican),		
	(Rhizopus niveus)		
3.	Xylanase,	GMP	-
	(Aspergillus niger),		
	(Sporotrichum dimorphosporum),		
	(Streptomyces sp.),		
	(Trichoderma reesei),		
	(Humicola insolens),		
	(Bacillus Licheniformis).		

ASHISH BAHUGUNA, Chief Executive Officer

[ADVT. III/4/Exty./187-0/15(249)]

Note: - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number F.No: 2-15015/30/2010 dated the 1st August, 2010 and subsequently amended vide notification numbers:

- (i) F.No. 4/15015/30/2011, dated 7th June, 2013.
- (ii) F.No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated 27th June, 2013.
- (iii) F.No. 5/15015/30/2012, dated 12th July, 2013.
- (iv) F.No. P15025/262/2013-PA/FSSAI, dated 5th December, 2014.
- (v) F.No. 1-83/SciPan-Noti/FSSAI-2012, dated 17th February, 2015.
- (vi) F.No. 4/15015/30/2011, dated 4th August, 2015.